न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना।

(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

07-05-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—5—53/2010 में आवेदक **श्री सत्येन्द्र कुमार**, पिता—श्री शारदा नंद सिंह, सा0—जमुना जी का मठ, नई सड़क, थाना—चौक, जिला—पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्रवाई की गयी।

सुनवाई की दूसरी तिथि 07.05.2013 को भी आवेदक अनुपस्थित। सुनवाई की पहली तिथि 30.04.2013 को उनके द्वारा आवेदन के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु समय की माँग की गयी, जिसे स्वीकृत करते हुए अगली तिथि 07.05.2013 निर्धारित की गई। उक्त तिथि को भी आवेदक उपस्थित नहीं हुए और उनके द्वारा पूर्व में दिए गए लिखित बयान के आधार पर उनके अनुज्ञप्ति आवेदन पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया। आवेदक द्वारा पूर्व समर्पित लिखित बयान में अंकित किया गया है कि वे व्यवसायी हैं। बाकरगंज में उनकी मोबाईल की दूकान है। उनकी वार्षिक आय 1,93,126/— (एक लाख तेरानवें हजार एक सौ छब्बीस) रूपये प्रतिवर्ष है। उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक—1926/गो0, दिनांक—30.12.2010 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा थानाध्यक्ष के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। पुलिस निरीक्षक—सह—थानाध्यक्ष, चौक द्वारा आवेदक के जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। परन्तु समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका—10 अन्तर्गत आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा भय होने की बात प्रतिवेदित नहीं की गयी है।

आवेदक के द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर कार्रवाई लंबित रहने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0—11835/2010 दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक—24.04.2012 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर आठ माह के अन्दर विचार करते हुए अंतिम आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है। आवेदक द्वारा तय समय सीमा में अपने अभ्यावेदन का निष्पादन नहीं किए जाने से एम0जे0सी0 सं0..... ...../2013 भी दायर किया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0—V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक—31.03.2010 की कंडिका—II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :—

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका—II की उप कंडिका—b तथा e निम्नवत है :—

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any

other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा समर्पित लिखित बयान, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश, आवेदक के द्वारा सुनवाई की दोनो तिथियों की सूचना प्राप्त होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक श्री सत्येन्द्र कुमार को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री सत्येन्द्र कुमार, पिता–श्री शारदा नंद सिंह, सा0–जमुना जी का मठ, नई सड़क, थाना–चौक, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

(2)-12-

जिला शस्त्र शाखा

पूर्व पृष्ठ पर जिला अधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न आवेदक एवं थानाध्यक्ष को भेजने हेतु तैयार की जाती है।

स्वच्छ प्रति हस्ताक्षर में प्रस्तुत आवश्यकतानुसार अनुमोदनार्थ

प्र० लि० प्र०

कृपया उपर्युक्त टिप्पणी
प्रारूप अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ

16/5/2013

20/05/13

जिला शस्त्र शाखा

MJC —/2013 हसनैन आलम ... एवं ... अपर समाहर्त्ता ने कारण पृच्छा जारी ... तथ्य विवरणी ...

स्वच्छ प्रति हस्ताक्षर में प्रस्तुत आवश्यकतानुसार अनुमोदनार्थ

प्र० लि० प्र०

कृपया उपर्युक्त टिप्पणी।
उक्त वाद में कारण पृच्छा प्रारूप तैयार कर तथ्य विवरणी का अनुमोदन किया जा सकता है और SC-15 को तथ्य विवरणी भेजते हुए कारण पृच्छा जारी करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है।

14.6.13

14/06/13

अमरेश कुमार अमर
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी
पटना